उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ
संख्या-14/2016/वे0आ0-2-261/दस-2016
लखनऊः दिनांकः 29 फरवरी, 2016

दिनांक 29 फरवरी, 2016 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।

5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।

6- सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9- विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), मा0 मुख्यमंत्री जी।

10- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

11- वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)
संख्या-14/2016/वे0आ0-2-261/दस-2016
लखनऊः दिनांक : 29 फरवरी, 2016
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1. (1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी। **(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 5 का संशोधन	**2.** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 5में विद्यमान खण्ड(ग), के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ग-1)बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-
	''(ग-1) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ''

नियम 7 का प्रतिस्थापन **3.** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1			**स्तम्भ-2**		
विद्यमान नियम			**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**		
भर्ती का स्रोत	**7.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-		**भर्ती का स्रोत**	**7.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-	
	(1) आशुलिपिक संवर्ग	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।		**(1)** आशुलिपिक संवर्ग	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
	(2) वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में		**(2)** वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।			से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(3) वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1	मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग के कुल पन्द्रह वर्ष की सेवा और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 के पद पर पॉच वर्षो की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।		**(3)** वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1	मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग में कुल पन्द्रह वर्ष की सेवा और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 के पद पर पॉच वर्षो की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					अनुमोदन से पोषक पद पर पाँच वर्ष की मौलिक सेवा की शर्त से अभिमुक्त कर सकता है और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1 के पद पर पदोन्नति, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग में न्यूनतम पन्द्रह वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, कर सकता है।

नियम 16 का प्रतिस्थापन4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**	
विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
रिक्तियों का अवधारण	**16-** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के	रिक्तियों का अवधारण	**16-** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नानुसार अधिसूचित की जायेंगी:-- **(1)** व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके। **(2)** कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा। **(3)** सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।		श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ, आयोग को सूचित की जायेंगी।

नियम 17 का प्रतिस्थापन **5.** उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**	
विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
आशुलिपिक के पद हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**17-** सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के अनुसरण में की जायेगी।	आयोग के माध्यम से आशुलिपिक के पद हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**17-** सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम 20 का प्रतिस्थापन **6.** उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**	
विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
परिवीक्षा	**20-(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। **(2)** नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय। परन्तु यह कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। **(3)** यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का	**परिवीक्षा**	**20-(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। **(2)** यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। **(3)** ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। **(4)** ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम **(3)** के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। **(5)** नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।		या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। **(4)** नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.14/2016/Va.Aa.-2-261/Dus-2016 dated 29 February, 2016

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
(NIYAMAWALI AND VIDHI PRAKOSTH)

NOTIFICATION
Miscellaneous
No14/2016/Va.Aa.-2-261/Dus-2016
Dated Lucknow29 February, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Department Stenographer Cadre Service Rules, 2014 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT STENOGRAPHER CADRE SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2016

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="5">1.(1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Government Department Stenographer Cadre Service (First Amendment) Rules, 2016".
(2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 5</td><td colspan="5">2- In the The Uttar Pradesh Government Department Stenographer Cadre Service Rules, 2014 hereinafter referred to as the said rules, in rule5, after existing clause (c), the following new clause
(c-1) shall be inserted, namely :-
"(c-1) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;"</td></tr>
<tr><td>Substitution of rule 7</td><td colspan="5">3- In the said rules, for existing rule 7 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-
<table>
<tr><th colspan="3">COLUMN 1</th><th colspan="3">COLUMN 2</th></tr>
<tr><th colspan="3">Existing rule</th><th colspan="3">Rule as hereby substituted</th></tr>
<tr><td>Source of recruit-ment</td><td colspan="2">7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :-</td><td>Source of recruitment</td><td colspan="2">7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)Steno grapher</td><td>By direct recruitment.</td><td></td><td>(1)Steno grapher</td><td>By direct recruitment through the Commission.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(2) Personal Assistant Grade-2	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Stenographers who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.		**(2)**Personal Assistant Grade-2	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Stenographers who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.
		(3) Personal Assistant Grade-1	By promotion through the Selection Committee from amongst such substantively appointed Personal Assistant Grade-2 who have completed a total fifteen years service in the Stenographer cadre and have completed five years substantive service on the post of Personal Assistant Grade-2 on the first day of the year of recruitment.		**(3)**Personal Assistant Grade-1	By promotion through the Selection Committee from amongst such substantively appointed Personal Assistant Grade-2 who have completed a total fifteen years service in the Stenographer cadre and have completed five years substantive service on the post of Personal Assistant Grade-2 on the first day of the year of recruitment: Provided that if the eligible person are not available for promotion, the appointing authority may, with the approval of the officer one level higher to him, dispense with the condition of five years substantive service on the feeding post and promotion to the post of Personal Assistant Grade-1 may be made from amongst such substantively appointed Personal Assistants Grade-2 who have completed a minimum fifteen years substantive

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

						service in the Stenographer Cadre on the first day of the year of recruitment.

Substitution of rule 16

4- In the said rules, for existing rule 16 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN 1		COLUMN 2	
Existing rule		**Rule as hereby substituted**	
Determination of vacancies	**16.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified in the following manner: **(i)** by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation; **(ii)** by pasting the notice on the board of the office or by advertising through Radio/Television and other employment news papers, and **(iii)** by notifying vacancies to the Employment Exchange.	**Determination of vacancies**	**16.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be intimated to the Commission

Substitution of rule 17

5. In the said rules, for existing rule 17 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN 1		COLUMN 2	
Existing rule		**Rule as hereby substituted**	
Procedure for direct recruitment for the post of Stenographer	**17.** Direct recruitment to the post of Stenographer in the Service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, as amended from time to time.	**Procedure for direct recruitment through the Commission for the post of Stenographer**	**17.** Direct recruitment to the post of Stenographer in the Service shall be made in accordance with Uttar Pradesh Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2002, as amended from time to time.

Substitution of rule 20

6. In the said rules, for existing rule 20 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

COLUMN 1		COLUMN 2	
Existing rule		Rule as hereby substituted	
Probation	**20.(1)** A person on substantive appointment, to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. **(2)** The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years. **(3)** If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. **(4)** A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. **(5)** The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	**Probation**	**20.(1)** A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time. **(2)** If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. **(3)** A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation. **(4)** The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

By order,
AJAY AGARWAL
Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।